न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
219 / 2017	11.09.2017	17.11.2022

//उनवान//

1 शिवलाल पुत्र बोबड राम जाति जाट निवासी जागीवाडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– वादी

बनाम

1 सुरजी पत्नि स्व0 ठाकरिया जाति जाट निवासी जागीवाडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

2 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

3 श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रतिवादीगण

4 वीरसिंह पुत्र बोबडराम जाति जाट निवासी जागीवाडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

5 मनीषा देवी पत्नि विजयसिंह जाति जाट निवासी जागीवाडा तह0 मुण्डावर।

6 साहिल पुत्र विजयसिंह नाबालिंग जरियें सरप्रस्त माता खुद मनीषा पत्नि विजयसिंह।

7 धर्मसिंह पुत्र बोबडराम जाति जाट निवासी जागीवाडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

8 सतीश कुमार पुत्र बोबडराम जाति जाट निवासी जागीवाडा तह0 मुण्डावर।

9 राजबाला पुत्री बोबडराम पत्नि विजयसिंह जाति जाट नि0 हाल रसियावास तह0 बावल जिला रेवाडी।

10 सुशीला पुत्री बोबडराम पत्नि रोहताश जाति जाट निवासी हाल रसियावास तह0 बावल जिला रेवाडी, हरि0।

11 इमरत पुत्री बोबडराम पत्नि धेर्यवान जाति जाट निवासी हाल रसियावास तह0 बावल जिला रेवाडी, हरि0।

तर0 प्रतिवादीगण

दावा – इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हु0ई0 दवामी।

उपस्थितिः– श्री महेश यादव– वकील वादी

निर्णय **दिनांक– 17.11.2022**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। [illegible] उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 1/0.22, [illegible] 9, [illegible] हिस्सा व ख0नं0 98/0.16, 99/0.16, 100/0.15, 1[illegible]/0.15, 189/0.10 [illegible] है0 का 1/2 भाग व 180/0.18, 181/0.16 है0 का 1/6 भाग व ख0नं0 766/0.38 है0 का 1/2 भाग व ख0नं0 140/0.11, 141/0.14, 699/0.22 है0 का 1/6 भाग [illegible] के ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 में स्थित होकर ठाकरिया पुत्र प्रभाती जाति जाट निवासी जागीवाडा के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है जिसपर ठाकरिया पुत्र प्रभाती काबिज होकर काश्त करता रहा है। ठाकरिया पुत्र प्रभाती नाऔलाद होने के कारण मिनवादी व तर0प्रतिवादीगण के पिता के पास रहता था तथा मिनवादी का पिता ही ठाकरिया व उसकी

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

पत्नि प्रतिवादी सं0 1 की सेवा टहल करता रहा है तथा उसके कब्जेकाश्त व खातेदारी पर काबिज होकर काश्त करता रहा है। ठाकरिया ने मिनवादी के पिता की सेवा टहल से प्रसन्न होकर अपने जीवनकाल में ही अपनी कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजीयात की एक वसियत दिनांक 16.05.1976 को मिनवादी के पिता के पक्ष में गवाहन की उपस्थिति में तहरीर व तकमील कराकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करा दिया था तथा ठाकरिया के फौत होने के बाद से मिनवादी व तर0प्रतिवादीगण के पिता वसीयत के आधार पर वास्तविक रूप से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा मिनवादी के पिता के फौत होने के बाद मिनवादी व तर0प्रतिवादीगण आराजी पर बहिस्से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादी के खानदान का सजरा पेश है। प्रतिवादी सं0 1 चतुर व चालाक प्रवृत्ति की महिला है जिसने ठाकरिया पुत्र प्रभाती के फौत होने के बाद राजस्व कर्मचारी से साज–बाज होकर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून मृतक ठाकरिया की विरासत इन्तकाल तन्हा अपने नाम दर्ज करा लिया जबकि उक्त आराजीयात की वसियत मृतक ठाकरिया पुत्र प्रभाती ने अपने जीवनकाल में ही मिनवादी व तर0प्रतिवादीगण के पिता/दादा/ससुर के नाम तहरीर वो तस्दीक की है तथा मौके पर हम ही आराजी पर वास्तविक रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी से गैर वास्त व गैर काबिज है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी सं0 1 का नाम हजफ कर मिनवादी को 1/8 भाग व तर0प्रतिवादी सं0 4 को 1/8 भाग व तर0प्रतिवादीगण स.5 व 6 को 1/8 भाग व तर0प्रतिवादी सं0 7 ल0 11 प्रत्येक को 1/8, 1/8 भाग के वसियत के आधार पर विरासत इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये जावे क्योंकि प्रतिवादी सं0 1 अपने नाम दर्ज आराजी को खुर्द–बुर्द करने को उतारू हो रही है, जबकि आराजी मिनवादी के पिता को जरिये वसियत प्राप्त हुई है इसलिए सुवधिा का संतुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस बहक मिनवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण आयद वो साबित है यदि वाकई में प्रतिवादीया सं0 1 अपने इन बेजा नापाक ईरादों में कामयाब हो गई और आराजीयात को गलत अंकन का बेजा फायदा उठाकर दीगर लोगों को बेचान कर दिया तथा मिनवादी को आराजी से बेदखल कर दिया तो मिनवादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी तथा दावा करना ही बेमायना हो जावेगा, चूंकि मिनवादी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है इसलिए मिनवादी अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी है। अंकित करते हुये वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इश्तकराररहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे की हाल आराजी ख0नं0 1/0.22, 5/0.16, 6/0.16, 26/0.09, 98/0.16, 99/0.16, 100/0.15, 101/0.15, 189/0.10 है0 का 1 हिस्सा व ख0नं0 180/0.18, 181/0.16 है0 का 1/6 भाग व ख0नं0 766/0.38 है0 का 1/2 भाग व ख0नं0 140/0.11, 141/0.14, 699/0.22 है0 का 1/6 भाग वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी सं0 1 का नाम हजफ कर मिनवादी को 1/8 भाग व तर0प्रतिवादी सं0 4 को 1/8 भाग व तर0प्रतिवादीगण स.5 व 6 को 1/8 भाग व तर0प्रतिवादी सं0 7 ल0 11 प्रत्येक को 1/8, 1/8 भाग के वसियत के आधार पर विरासत इन्तकाल दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाये जाने एवं प्रतिवादीगण को डिक्री हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाकर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] प्रतिवादी सं0 1 व 3 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने की [illegible] अमल में लाई गई तथा तर0प्रतिवादी सं0 4 ल0 11 की ओर से जरिये [illegible] इकबाल जवाब दावा पेश हुआ जिसके मुताबिक वाद पत्र के जिम्मनों को स्वीकारते हुये वाद वादी डिक्री फरमा दिया जावे तो हमें उजर या एतराज नहीं होगा अंकित करते हुये पेश होकर शामिल पत्रावली है एवं प्रतिवादी सं0 2 की ओर से जवाब पैरोकार पेश हुआ। मुताबिक जवाब पैरोकार समस्त जिम्मनवार वादी स्वयं सिद्ध करे। अंकित करते हुये पेश होकर शामिल पत्रावली है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप वसियतनामा दिनांक 16.05.1976 प्रदर्श–1, नकल इन्तकाल सं0 61 किता 2 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75 किता 5 प्रदर्श–3 पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र शिवलाल पीडब्ल्यू–1, जगदेव सिंह पीडब्ल्यू–2, दीवान सिंह पीडब्ल्यू–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात ठाकरिया पुत्र प्रभाती की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है जो नाऔलाद होने के कारण वादी व तर0प्रतिवादीगण के पिता के पास ही रहता था तथा वादी के पिता ही ठाकरिया व उसकी पत्नि प्रतिवादी सं0 की सेवा टहल करता रहा है तथा उसके कब्जेकाश्त खातेदारी आराजी पर काबिज होकर काश्त करता रहा। पिता की सेवा टहल से प्रसन्न होकर ठाकरिया ने अपने जीवनकाल में ही अपने उक्त आराजी की एक वसियत दिनांक 16.05.1976 वादी के पिता के पक्ष में गवाहन की उपस्थिति में तहरीर व तकमील कराकर नोटेरी से तस्दीक करा दी थी तथा ठाकरिया के फौत होने के बाद से वादी के पिता वसियत के आधार पर वास्तविक रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे तथा पिता की फौतगी पर वादी एवं तर0प्रतिवादीगण आराजी पर बहिस्से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। आज दिन भी इनका ही कब्जा है। प्रतिवादी सं0 1 ने ठाकरिया की फौतगी पर राजस्व कर्मचारियों से साज–बाज होकर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून विरासत का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करा लिया जबकि मौका पर वास्तविक रूप से वादी व तर0प्रतिवादीगण ही काबिज है। वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप वसियतनामा दिनांक 16.05.1976 प्रदर्श–1, नकल इन्तकाल सं0 61 किता 2 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75 किता 5 प्रदर्श–3 पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र शिवलाल पीडब्ल्यू–1, जगदेव सिंह पीडब्ल्यू–2, दीवान सिंह पीडब्ल्यू–3 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है एवं उक्तानुसार दस्तावेजात के माध्यम से वादी ने अपने वाद पत्र को स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है अभिकथन करते हुये वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन से प्रदर्श–1 मूल वसियत अनुसार वसियत कर्ता ठाकरिया द्वारा लिखि गई इबारत के साथ–साथ अंकित किया है कि मुझको गंभीर बीमारी ने घेर लिया है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है आदि–आदि अंकित करते हुये जायदाद के बाबत वाद–विवाद हो मेरी सेवा टहल दवा–दारू कपड़ा आदि की व्यवस्था बोबडराम पुत्र भानाराम जाट जागीवाडा कर रहा है इसकी सेवा टहल से काफी प्रसन्न हुं इसलिए मैं अपनी समस्त चल–अचल संपत्ति बोबडराम के हक में वसियत तहरीर कर लिख देता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी चल–अचल संपत्ति बावत मालिक काबिज बोबडराम होगा। ठीक इसी प्रकार प्रस्तुत प्रदर्श–2 नकल इन्तकाल सं0 61 के अवलोकन से भी स्पष्ट जाहिर है कि ठाकरिया की उक्त समस्त विवादित आराजीयात के बावत विरासत इन्तकाल केवल मात्र ठाकरिया की बेवा पत्नि सुरजी के नाम ही दर्ज व स्वीकृत [illegible] प्रकार से वादी ने अपने वाद पत्र को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी [illegible] योग्य पाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी [illegible]द को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल ख0नं0 1/0.22, 5/0.16, 6/0.16, 26/0.09, 98/0.16, 99/0.16, 100/0.15, 101/0.15, 189/0.10 है0 का 1 हिस्सा व ख0नं0 180/0.18, 181/0.16 है0 का 1/6 भाग व ख0नं0 766/0.38 है0 का 1/2 भाग व ख0नं0 140/0.11, 141/0.

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

14, 699/0.22 है0 का 1/6 भाग वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर के बाबत के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत जरिये विरासत इन्तकाल सं0 66 वाके ग्राम जागीवाडा के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 सुरजी के नाम चले आ रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान पर वादी को 1/8 भाग का व तर0प्रतिवादी सं0 4 को 1/8 भाग का व तर0 प्रतिवादीगण सं0 5 व 6 को संभाग में 1/8 भाग का व तर0प्रतिवादी सं0 7 ल0 11 को प्रत्येक को 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 भाग का वसियत दिनांक 16.05.1976 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **17.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

17/11/2022

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested